

11/7/17 पत्रावली वगुडाम डेम्प कोर्ट डांगियावास में
पेश हुई। पत्रावली में प्रतीति द्वारा अपने मूल
वाद को रेस्टोर करने हेतु प्रार्थना पत्र

16/7/12 को लगाया गया तन्नी से यह
प्रार्थना पत्र लम्बित है अधीन 1 से 7 रु
के जोटिस भी समील व जवाब भी लेलगे हैं

मतः ऐसी स्थिति में पत्रावली डा लोड अपलत
की जावना से गुणावगुण पर अवलोकन किया
गया। अवलोकन पश्चात यह प्रतीत होता है कि

ई

जज एडवोकेट एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)

जोधपुर



मूलवाद को गुणवगुण से माघार पर सुनवाई
करे हेतु धर्चना पत्र को रेट्योर किया जाना
अचित है। अतः लोक अदालत की भावना से उक्त
धर्चना पत्र को रेट्योर किया जाकर मूल वाद
को अमलदरागद के आदेश रिट नाते है। पत्रावली
केसल शुमार हो कर नम्बर से कम होकर
तकमील दारिखल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (आरट्रेंक)
जोधपुर

